न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जमुई
सत्र विचारण संख्या–56/2023

आदेश

17.04.2023 वाद के सभी तीन बंदी अभियुक्त में से किसी को भी कारा से प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक की हाजिरी है। वाद आज अभियुक्त मो0 फहद परवेज की ओर से दिनांक 21.03.2023 को दाखिल दंप्रसं की धारा 227 के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अभियुक्त मो0 फहद परवेज के विद्वान अधिवक्ता को दाखिल आवेदन पर पूर्व में सुना जा चुका है।

अपने आवेदन में अभियुक्त मो0 फहद परवेज का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन हेतु अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अभियोजन के किसी गवाह ने घटना को होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सक के बयान से भी नहीं होती है। घटना 14.08.2022 की बताई जाती है, जबकि मृतक की मृत्यु दिनांक 19.08.2022 को हुई है। प्राथमिकी दर्ज कराने में भी काफी देरी हुई है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन नहीं किया जा सकता और आवेदक को वाद से उन्मोचित किया जाय।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त मो0 फहद परवेज के अधिवक्ता के द्वारा आवेदन में कही गई बातों को दोहराया गया है। वहीं विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना था कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन हेतु अभिलेख पर प्राप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षियों ने अपने 161 दंप्रसं की बयान में अभियोजन वाद का समर्थन किया है। ऐसे में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी सूचिका अरफाना सुल्तान के फर्दबयान पर दर्ज की गई है और अपने फर्दबयान में सूचिका का कहना है कि सह अभियुक्त नाजिश दिनांक 14.08.2022 को करीब 7:00 बजे संध्या में सूचिका के घर के बगल में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री के पास आते–जाते हुए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ एवं गंदी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर सूचिका का पुत्र मो0 जैद सुल्तान ने उसे ऐसा करने से मना किया तो नाजिश अपने भाई को फोन किया और उसका भाई अपने सहयोगियों के साथ आकर जैद को मारपीट करने लगा। नाजिश जो अपने हाथ में लोहे का फाईटर पहने हुए था और उसका भाई मो0 दानिश, मो0 अरबाज, मो0 फहद, सकलेन, मो0 मेहराज सभी मिलकर मो0 जैद के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जैद को ईलाज के लिए सदर अस्पताल, जमुई लाया गया जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया और ईलाज के दौरान जैद की मृत्यु हो गई।

अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी को देखने से विदित होता है कि कांड दैनिकी के पारा 04 में सूचिका का पुनः बयान दर्ज है, जिसमें उसने प्राथमिकी आवेदन का पूरा समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा 6 में, पारा 7 में एवं कांड दैनिकी के पारा 70 में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन वाद का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा 7 में साक्षी अली ईमाम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हल्ला पर जब साक्षी घटनास्थल पहूंचा तो सभी अभियुक्तगण मो0 जैद के साथ मारपीट कर रहे थे और यह भी कि आवेदक/अभियुक्त मो0 फहद हाथ में रॉड लिए हुए था।

उन्मोचन के स्तर पर साक्षियों के साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की आवश्यकता नहीं है। और यदि साक्षियों के साक्ष्य से या अन्य साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने को नकारा नहीं जा सकता तो अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जायेगा और अभियुक्त को विचारण से गुजरना होगा। प्रस्तुत वाद में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में और आवेदक की ओर से दाखिल दिनांक 01.03.2023 के आवेदन को खारिज किया जाता है। अगली तिथि को सभी अभियुक्तगण आरोप गठन हेतु न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जमुई